SRI JAI NARIAN P. G. COLLEGE, LUCKNOW
DEPARTMENT OF LAW

LLB-SECOND SEMESTER (First year)
LAW OF CRIMES –II
(OFFECNCE AGAINST PROPERTY)
THEFT - (चोरी)

चोरी - चोरी का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा-378 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसी धारा के अंतर्गत 5 स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं।चोरी का अपराध विशेषता कब्जे के विरुद्ध होता है जिसमें स्वामित्व स्वमेव सम्मिलित होता है।

परिभाषा- दंड संहिता की धारा-378 के अनुसार "जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए, वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, चोरी का अपराध कारित करता है।

नोट- चोरी के लिए दंड का प्राविधान भारतीय दंड संहिता की धारा-379 के अंतर्गत प्राविधानित किया गया है।

चोरी **के अपराध के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक होता है:-**

1- चल संपत्ति होनी चाहिए - चोरी के लिए सबसे आवश्यक है, जिस संपत्ति की चोरी की गई है वह चल संपत्ति होनी चाहिए अर्थात चोरी की विषय वस्तु केवल चल संपत्ति हो सकती है।चल संपत्ति वह संपत्ति भी हो सकती है जो भूबध, परंतु भूमि से पृथक कर दी गई है, स्पष्टीकरण एक में बताया गया है।

नोट- चल संपत्ति की परिभाषा दंड संहिता की धारा-22 में स्पष्ट की गई है।

२**- ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से ली गई हो -** चोरी के अपराध के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में हो तथा इसे अवश्य ही ले जाया गया हो। ऐसा ले जाया जाना किसी भी समय के लिए अर्थात कम से कम समय के लिए भी हो सकता है या अधिक समय के लिए भी हो सकता है या अस्थाई रूप से ले जाने के लिए भी हो सकता है या अस्थाई रूप से भी हो सकता है।

- के. एन. मेहरा बनाम **स्टेट -** कुछ समय के लिए भी ले जाया जाना चोरी के अपराध के अंतर्गत आएगा।

- **प्यारे**लाल बनाम स्टेट - जहां पर फाइल कुछ देरी के लिए वह अपने साथ ले गया चोरी का अपराध माना गया।

३**-ऐसा ले जाया जाना बे**ईमानीपूर्वक **आ**शय के **साथ होना चाहिए-** बेईमानीपूर्वक आशय का अभिप्राय किसी व्यक्ति को सदोष पूर्ण लाभ अथवा सदोषपूर्ण हान पहुंचाने से होता है

नोट- "बेईमानी से" Dishonestly को भारतीय दंड संहिता की धारा-24 में बताया गया है।

४-ऐसा **ले जाया जाना उस व्यक्ति की** सम्मति **के बिना ह**ो।**-** चल संपत्ति का लेजाया जाना केवल तभी चोरी हो सकता है जबकि ऐसा उस व्यक्ति की सम्मति के बिना हो। यहां पर सम्मति से तात्पर्य विवक्षित या अभिव्यक्त दोनों ही प्रकार से होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि अभिव्यक्त या विवक्षित किसी भी प्रकार की सम्मति दे गई दी गई है, तो संपत्ति का लेजाया जाना चोरी का अपराध नहीं होगा।

५-संपत्ति **का हटाया जाना -** चोरी के अपराध के लिए यह बहुत ही आवश्यक शर्त है कि किसी संपत्ति को ले जाने के लिए हटाया गया हो। स्पष्टीकरण दो में प्राविधानित किया गया है कि यदि संपत्ति भूबध है तथा इसे पृथक किया गया है तो संपत्ति का हटाया जाना प्रथक किए जाने के साथ ही पूरा हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण

- स्पष्टीकरण 1 - जब तक कोई वस्तु भूबध रहती है, जंगम संपत्ति ना होने के कारण चोरी की विषय वस्तु नहीं होती परंतु जैसे ही वह भूमि से पृथक की जाती है चोरी की विषय वस्तु होने योग्य हो जाती है।

- स्पष्टीकरण 2 - हटाना, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे संपत्ति को पृथक किया गया है चोरी हो सकेगी।

- स्पष्टीकरण 3 - कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है यह तब कहा जाएगा जब वह उस बाधा को हटाता है, जो चीज को हटाने से रुके हुए हैं या जब उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है।

- स्पष्टीकरण 4 - वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना करता है, उस जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज को हटाता है, जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणामस्वरूप और जीव जंतुओं द्वारा हटाई जाती है।

- स्पष्टीकरण 5 - परिभाषा में वर्णित सम्मति, अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित अधिकार रखता है, दी जा सकती है।

<u>चोरी की</u> <u>विषय</u> **<u>वस्तु</u>**

- मूर्ति की चोरी विषय वस्तु हो सकती है।
- फसल या फल चोरी की विषय वस्तु हो सकते हैं।
- जल चोरी की विषय वस्तु हो सकता है यदि किसी के कब्जे में हैं।(Running water in river or in Channel can not be subject of Theft)
- घरेलू पशु-पक्षी चोरी की विषय वस्तु हो सकते है।
- मानव शरीर संपत्ति नहीं माना जाता इसलिए यह चोरी की विषय वस्तु नहीं माना जा सकता।
- कोई भी व्यक्ति स्वयं अपनी ही संपत्ति की चोरी के लिए उत्तरदाई हो सकता है यदि उसने किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से अपनी संपत्ति बेईमानीपूर्वक आशय से हटाई है। (जुदाह VS एंपरर)

- बिजली/ Electricity चल संपत्ति में नहीं आती है । यह चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। (अवतार सिंह VS स्टेट)

<u>दृष्टांत</u>

- क व्यक्ति य की सम्मति के बिना उसके कब्जे में से एक वृक्ष बेईमापूर्वक आशय से ले जाने के लिए उसकी भूमि पर लगे हुए वृक्ष को काट देता है, यहां जैसे ही क ने इस प्रकार ले जाए जाने के लिए उस वृक्ष को भूमि से पृथक किया उसने चोरी की।
- क अपनी जेब में, कुत्तों को ले जाने के लिए कोई बिस्किट इत्यादि रखता है और इस प्रकार य के कुत्तों को बिस्किट दिखा कर अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है यहां यदि क का आशय है कि य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से उसके कुत्ते को बेईमानीपूर्वक ले जाना हो तो जैसे ही य के कुत्ते ने क के पीछे चलना प्रारंभ किया क ने चोरी की।

<u>चोरी के अपराध के लिए दंड - 379 -</u> जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

<u>Theft</u>

<u>Theft</u> is defined under section-378 of Indian Penal Code. According to section 378 of the code -

“Whoever, intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent, moves that property in order to such taking, is said to commit theft.

There are 5 Explanation under Section 378 of Indian penal code related to the theft.

Essential Elements of Theft - It is clear from the definition that there are five essentials elements of the Theft:-

1. The property of which theft is committed must be movable.
2. The property must be in possession of the some person.
3. The intention on the part of offender must be to take property dishonestly.
4. The property must be taken without the consent of its possessor.
5. The property must be moved in order to such taking.

Explanation

- Explanation 1- A thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the Earth.
- Explanation 2- A moving effected by the same act which effects the severances may be a theft.
- Explanation 3- A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing, as well as by actually moving it.
- Explanation 4- A person, who by any means causes an animal to move, is said to move that animal, and to move everything which, in consequence of the motion so caused, is moved by that animal.
- Explanation 5 - The consent mentioned in the definition may be expressed or implied, and may be given either by the person in

possession, or by any person having for that purpose authority either expressed or implied.

Illustration – A finds a Ring belonging to Z on a table, in the house which Z occupies. Here the ring is in Possession of Z and if A dishonestly removes it, A commits Theft.

Punishment for Theft – Section-379- Whoever commits Theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both.

Some Important Cases-

- PYARE LAL VS STATE OF RAJSTHAN (AIR 1963 SC 1094)
- JUDAH VS EMPROR (1925) 53 CAL. 174
- GULJAR VS STATE OF M.P.(2007) 1 SCC (Cri) 396
- NAUSE ALI KHAN VS ALL H.C. (1911) 34 ALL. 89
- AVTAR SINGH VS STATE (AIR 1965) SC 666
- K.N. MEHRA VS STATE

Reference-Bare Act and Text Books

Suneeta Rathore
(Assistant Professor)
Faculty of Law
Sri Jai Narain P. G. College, Lucknow